



आयुक्त अंकेक्षण केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय जोधपुर
जी-105 न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, बासनी डीजल शेड के पास जोधपुर-342003

F. No. V(1)AuditJDR/RTI/HQRS/2017-18/Pt – III

Date: 20.05.2025

To,

Sh. Ravinder Kumar,
5611, Basant Road,
Pahad Ganj, New Delhi,
Pin-110055

Subject: - Information under RTI Act, 2005 – reg.

Sir,

Please refer to your RTI Application No. GSTJP/R/T/25/00108/2 dated 07.05.2025 received online at RTI Portal.

2. No officer of Group A or Group B had been dismissed by this Commissionerate, thus the reply in respect of the said RTI may please be considered as NIL.

3. इस प्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गली न. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

010

K Gupta
(कृष्ण कान्त गुप्ता) 20/5/25

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी